

# Know About Your Agent and Your Insurance Policy

## 1. Who We Are

We act as a **Composite Corporate Agent** registered with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI). This means:

- We represent multiple life, general and health insurance companies (Insurers).
- We help you understand, buy and service insurance policies.
- We **do not issue insurance policies** and **do not decide claims**.
- 

Your insurance contract is always **directly between you and the Insurer**.

## 2. Our Role – What We Do for You

We may help you with:

- Explaining insurance products and benefits
- Assisting in proposal form submission
- Sharing premium and coverage details
- Helping you receive your policy document
- Assisting in claim intimation and follow-ups

Final decisions on policy issuance, claims and payouts are taken **only by the Insurer**, as per IRDAI regulations.

## 3. Free Look Period – Your Right to Review

IRDAI allows you time to review your policy after purchase.

- **15 days** from receipt of the policy document
- **30 days** if the policy is purchased online or through distance mode

If you are not satisfied:

- You may cancel the policy during the Free Look Period
- Inform the Insurer with reasons for cancellation

Premium refund (by the Insurer) may be after deduction of:

- Proportionate risk premium
- Stamp duty
- Medical examination costs (if any)

We can help you submit the request, but refunds are processed by the Insurer.

## 4. Policy Document & Acknowledgement

- Your policy document will be issued by the Insurer in **physical or electronic form**.

- Please check:
- Name, age, sum insured
- Policy term and benefits
- Nominee details
- Exclusions and waiting periods

Keeping the policy without cancellation during the Free Look Period means you accept the terms.

If you find any error, inform the Insurer or contact us for assistance immediately.

### **5. Claims – How It Works**

- Claims are **settled only by the Insurer**.
- We assist you or your nominee with:
- Claim intimation
- Document submission
- Status follow-up

Claims should be reported within the time mentioned in your policy. Delayed reporting or incomplete documents may affect claim settlement.

### **6. Claim Benefits**

- Claim amount and eligibility depend on:
- Policy terms and conditions
- Coverage and exclusions
- Assessment by the Insurer

For **loan-linked (credit) insurance policies**:

- Claim amount may first be used to repay the outstanding loan
- Any excess amount is paid to the nominee or legal heirs

### **7. Credit Insurance – Assignment of Death Benefit**

If you have purchased **credit life / loan-linked insurance**:

- You agree that the **death benefit may be assigned** to the lending institution
- Assignment is done as per **Section 38 of the Insurance Act, 1938**

In case of death of the insured borrower:

The Insurer pays the outstanding loan amount to the lender

Remaining amount (if any) is paid to the nominee or legal heirs

We only facilitate coordination and **do not decide benefit allocation**.

## 8. Your Responsibility as a Customer

To keep your policy valid:

- Provide **true, complete and accurate information**
- Disclose all material facts at proposal stage

Non-disclosure or misrepresentation may lead to:

- Claim rejection
- Policy cancellation by the Insurer

Always read your policy document carefully.

## 9. Our Liability – Important to Know

As per IRDAI regulations:

- We are not responsible for claim approval or rejection
- We cannot change policy terms
- We are not liable for losses due to incorrect customer information

All insurance-related disputes are governed by the policy terms and Indian law.

## 10. Grievance Redressal – If You Have a Complaint

Step 1: Contact the Grievance Redressal Cell of SK Finance Limited

([https://strapi.skfin.in/uploads/GRM\\_English\\_e46b3ff21d.pdf](https://strapi.skfin.in/uploads/GRM_English_e46b3ff21d.pdf))

Step 2: Contact the **Insurer's grievance cell – Details are available in your Insurance Policy**

Step 2: If unresolved, escalate through:

- IRDAI Integrated Grievance Management System (IGMS)
- Insurance Ombudsman

We will assist you in escalation, wherever required.

## 11. Governing Law

These Terms & Conditions are governed by Indian laws and IRDAI regulations, including the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015, as amended from time to time.

## 12. NBFC-Specific Disclaimers (Important for Customers)

- We are a **Non-Banking Financial Company (NBFC)** and act as a **Composite Corporate Agent** only for facilitating insurance products.
- **Availing insurance is not mandatory** for obtaining a loan, unless specifically required under a particular loan product and disclosed upfront.
- Purchase of insurance **does not influence loan approval, interest rate, tenure or other loan terms**, except where credit insurance is voluntarily opted for by the customer.

You are free to:

- Choose an insurance policy from any insurer of your choice, subject to meeting lender requirements
- Nominate any eligible person as beneficiary, except where assignment is legally required in credit insurance
- Insurance premium (if opted) is charged **separately** and is not a fee or charge levied by the NBFC.
- The NBFC does **not earn interest or penalty** on insurance premium amounts paid to the Insurer.

For **credit-linked insurance policies**:

- Insurance is offered only as a **risk mitigation option** and not as a substitute for repayment obligations
- Claim settlement depends solely on the Insurer's assessment and policy terms
- Until a claim is settled, the borrower's repayment obligations under the loan agreement continue

**Final Disclaimer:** This webpage is for customer awareness and transparency. Insurance is a subject matter of solicitation. Please read the policy document carefully before purchasing. In case of any inconsistency, the policy document issued by the Insurer shall prevail over this disclosure.

## अपने एजेंट और अपनी बीमा पॉलिसी के बारे में जानें

### 1. हम कौन हैं

हम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ पंजीकृत एक **कॉम्पोज़िट कॉर्पोरेट एजेंट** के रूप में कार्य करते हैं। इसका अर्थ है:

- हम कई जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों (बीमाकर्ताओं) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- हम आपको बीमा पॉलिसी समझाने, खरीदने और सेवा प्रदान करने में मदद करते हैं।
- हम बीमा पॉलिसी जारी नहीं करते और न ही दावों पर निर्णय लेते हैं।

आपका बीमा अनुबंध हमेशा सीधे आपके और बीमाकर्ता के बीच होता है।

### 2. हमारी भूमिका – हम आपके लिए क्या करते हैं

हम आपकी मदद कर सकते हैं:

- बीमा उत्पादों और लाभों को समझाने में
- प्रस्ताव फॉर्म जमा करने में सहायता
- प्रीमियम और कवरेज विवरण साझा करने में
- आपकी पॉलिसी दस्तावेज़ प्राप्त करने में मदद
- दावा सूचना और फॉलो-अप में सहायता

पॉलिसी जारी करने, दावों और भुगतान पर अंतिम निर्णय केवल बीमाकर्ता द्वारा IRDAI नियमों के अनुसार लिया जाता है।

### 3. फ्री लुक अवधि – समीक्षा का आपका अधिकार

IRDAI आपको पॉलिसी खरीदने के बाद समीक्षा करने का समय देता है:

- पॉलिसी दस्तावेज़ प्राप्त करने की तारीख से 15 दिन
- यदि पॉलिसी ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से खरीदी गई है तो 30 दिन

यदि आप संतुष्ट नहीं हैं:

- आप फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी रद्द कर सकते हैं
- रद्द करने के कारणों के साथ बीमाकर्ता को सूचित करें

प्रीमियम वापसी (बीमाकर्ता द्वारा) निम्नलिखित कटौती के बाद हो सकती है:

- आनुपातिक जोखिम प्रीमियम
- स्टाम्प शुल्क
- चिकित्सा परीक्षण लागत (यदि कोई हो)

हम आपको अनुरोध जमा करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वापसी बीमाकर्ता द्वारा की जाती है।

#### 4. पॉलिसी दस्तावेज़ और स्वीकृति

- आपका पॉलिसी दस्तावेज़ बीमाकर्ता द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किया जाएगा।
- कृपया जांचें:
  - नाम, आयु, बीमित राशि
  - पॉलिसी अवधि और लाभ
  - नामांकित व्यक्ति का विवरण
  - अपवर्जन और प्रतीक्षा अवधि

फ्री लुक अवधि के दौरान रद्द किए बिना पॉलिसी रखना मतलब है कि आप शर्तों को स्वीकार करते हैं। यदि कोई त्रुटि मिले, तो तुरंत बीमाकर्ता को सूचित करें या सहायता के लिए हमसे संपर्क करें।

#### 5. दावा – यह कैसे काम करता है

- दावे केवल बीमाकर्ता द्वारा निपटाए जाते हैं।
- हम आपकी या आपके नामांकित व्यक्ति की मदद करते हैं:
  - दावा सूचना
  - दस्तावेज़ जमा करना
  - स्थिति फॉलो-अप

दावे आपकी पॉलिसी में बताए गए समय के भीतर रिपोर्ट किए जाने चाहिए। देर से रिपोर्टिंग या अधूरे दस्तावेज़ दावा निपटान को प्रभावित कर सकते हैं।

#### 6. दावा लाभ

- दावा राशि और पात्रता निर्भर करती है:
  - पॉलिसी की शर्तों और नियमों पर
  - कवरेज और अपवर्जन पर
  - बीमाकर्ता के आकलन पर

ऋण-संबंधित (क्रेडिट) बीमा पॉलिसियों के लिए:

- दावा राशि पहले बकाया ऋण चुकाने में उपयोग हो सकती है
- शेष राशि नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाती है

#### 7. क्रेडिट बीमा – मृत्यु लाभ का असाइनमेंट

यदि आपने क्रेडिट जीवन / ऋण-संबंधित बीमा खरीदा है:

- आप सहमत हैं कि मृत्यु लाभ ऋण देने वाली संस्था को सौंपा जा सकता है
- असाइनमेंट बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार किया जाता है

बीमित उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में: बीमाकर्ता बकाया ऋण राशि ऋणदाता को भुगतान करता है शेष राशि (यदि कोई हो) नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाती है

हम केवल समन्वय की सुविधा प्रदान करते हैं और लाभ आवंटन का निर्णय नहीं लेते।

### 8. ग्राहक के रूप में आपकी जिम्मेदारी

अपनी पॉलिसी को वैध रखने के लिए:

- सही, पूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करें
- प्रस्ताव चरण में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करें

गैर-प्रकटीकरण या गलत प्रस्तुति से हो सकता है:

- दावा अस्वीकृति
- बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी रद्द

हमेशा अपनी पॉलिसी दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें।

### 9. हमारी देयता – जानना महत्वपूर्ण है

IRDAI नियमों के अनुसार:

- हम दावा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं हैं
- हम पॉलिसी की शर्तों को बदल नहीं सकते
- गलत ग्राहक जानकारी के कारण होने वाले नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं

सभी बीमा-संबंधित विवाद पॉलिसी की शर्तों और भारतीय कानून द्वारा शासित होते हैं।

### 10. शिकायत निवारण – यदि आपके पास शिकायत है

चरण 1: SK Finance Limited की शिकायत निवारण सेल से संपर्क करें

([https://strapi.skfin.in/uploads/GRM\\_English\\_e46b3ff21d.pdf](https://strapi.skfin.in/uploads/GRM_English_e46b3ff21d.pdf))

चरण 2: बीमाकर्ता की शिकायत सेल से संपर्क करें – विवरण आपकी बीमा पॉलिसी में उपलब्ध है

चरण 3: यदि अनसुलझा है, तो निम्न माध्यमों से आगे बढ़ाएं:

- IRDAI एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (IGMS)
- बीमा लोकपाल

हम आवश्यकता पड़ने पर आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

### 11. लागू कानून

ये नियम और शर्तें भारतीय कानूनों और IRDAI विनियमों द्वारा शासित हैं, जिसमें IRDAI (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 और समय-समय पर किए गए संशोधन शामिल हैं।

### 12. NBFC-विशिष्ट अस्वीकरण (ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण)

- हम एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) हैं और केवल बीमा उत्पादों की सुविधा के लिए कॉम्पोज़िट कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।

- ऋण प्राप्त करने के लिए बीमा लेना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि किसी विशेष ऋण उत्पाद के तहत स्पष्ट रूप से आवश्यक और पहले से खुलासा न किया गया हो।
- बीमा खरीदने से ऋण स्वीकृति, ब्याज दर, अवधि या अन्य ऋण शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिवाय उन मामलों के जहां ग्राहक स्वेच्छा से क्रेडिट बीमा चुनता है।

आप स्वतंत्र हैं:

- किसी भी बीमाकर्ता से अपनी पसंद की बीमा पॉलिसी चुनने के लिए, बशर्ते ऋणदाता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए
- किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभार्थी के रूप में नामित करने के लिए, सिवाय उन मामलों के जहां क्रेडिट बीमा में कानूनी रूप से असाइनमेंट आवश्यक है
- बीमा प्रीमियम (यदि चुना गया) अलग से लिया जाता है और यह NBFC द्वारा लगाया गया शुल्क या चार्ज नहीं है।
- NBFC बीमाकर्ता को भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम राशि पर ब्याज या जुर्माना नहीं कमाता।

क्रेडिट-संबंधित बीमा पॉलिसियों के लिए:

- बीमा केवल जोखिम कम करने का विकल्प है, पुनर्भुगतान दायित्वों का विकल्प नहीं
- दावा निपटान पूरी तरह से बीमाकर्ता के आकलन और पॉलिसी शर्तों पर निर्भर करता है
- जब तक दावा निपटाया नहीं जाता, ऋण समझौते के तहत उधारकर्ता की पुनर्भुगतान जिम्मेदारियां जारी रहती हैं

**अंतिम अस्वीकरण:** यह वेबपेज ग्राहक जागरूकता और पारदर्शिता के लिए है। बीमा एक आग्रह का विषय है। कृपया खरीदने से पहले पॉलिसी दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें। किसी भी असंगति की स्थिति में, बीमाकर्ता द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज़ इस प्रकटीकरण पर प्राथमिकता रखेगा।